रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232804
CG-DL-E-20012022-232804

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
No. 22] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 22(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केंद्र सरकार, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 18 मार्च, 2006 के सा.का.नि. 320 (अ) द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में कुछ संशोधन करने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, एतद्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथापेक्षित ढंग से उससे संभावित तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों और अन्य हितधारकों के सूचनार्थ प्रकाशित की जाती है और इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना पर केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लिखित रूप में डाक द्वारा सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पते: satyendra.kumar07@nic.in या amit.love@nic.in पर इलैक्ट्रोनिक तरीके से ऐसा कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तारीख 18 मार्च, 2016 के सा.का.नि. 320 (अ) द्वारा अधिसूचित किए गए थे, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यावरण के अनुकूल तरीके से एकत्रीकरण, पृथक्करण, प्रसंस्करण, शोधन और निपटान, प्लास्टिक शीट और इस प्रकार की अन्य वस्तु की मोटाई के सीमा-निर्धारण, अभिज्ञात उपयोग के निषेध, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, निशान लगाने और लेबल लगाने की अपेक्षा, प्लास्टिक अपशिष्ट के सृजन में कमी लाते हुए विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, ब्राण्ड मालिक तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है;

प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधन नियम, 2021 तारीख 12 अगस्त, 2021 के सा.का.नि. सं. 571(अ) द्वारा अधिसूचित किए गए थे, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादक, आयातक और ब्राण्ड मालिक की जिम्मेदारी के संबंध में नियम 9(1) के अधीन दिशा-निर्देश जारी करने का प्रावधान किया गया है;

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तारीख 6 अक्तूबर, 2021 को सा.का.नि. सं. 722(अ) द्वारा, "समय-समय पर यथासंशोधित, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी विनियम" के लिए प्रारूप प्रावधान अधिसूचित किए थे;

और, संधारणीय विकास, पूर्वोपाय सिद्धांत, और प्रदूषण फैलाने वालों द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने के सिद्धांत को कानून में मान्यता प्रदान की गई है;

अत: अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 के तहत यथापेक्षित इस प्रारूप अधिसूचना को प्रकाशित करती है, जो उक्त अधिसूचना में अपने अंतिम प्रकाशन होने पर और उस तारीख से निम्नलिखित संशोधन करेगी, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (तृतीय संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

   (2) वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों में, नियम 3 में,

   i. खण्ड 3 (ख) को निम्नवत् पढ़ा जाएगा:-

   "ब्राण्ड मालिक" का अर्थ वह व्यक्ति या कंपनी है जो किसी पंजीकृत ब्राण्ड लेबल/ट्रेडमार्क के तहत किसी सामग्री की बिकी करता है;

"जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिकों" का तात्पर्य उन प्लास्टिकों से है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक के सिवाय, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय मानके ब्यूरो के निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए, किन्हीं माइक्रो प्लास्टिकों, या स्पष्ट रूप से दृश्य, अलग करने योग्य या विषाक्त अवशेष, जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, छोड़े बिना, विनिर्दिष्ट समयावधियों में, परिवेशी पर्यावेशी पर्यावरणीय (स्थलीय या जलीय) दशाओं के तहत जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पूण्र रूप से अवक्रमित हो जात हैं।

   ii. खण्ड 3 (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

   "उपयोग की अवधि समाप्त होने पर निपटान" का अर्थ है प्लास्टिक अपशिष्ट का ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग, जिसमें सह-प्रसंस्करण (उदाहरण के लिए सीमेंट भट्टों में), अपशिष्ट से तेल उत्पादन या भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अन्य संगत दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण के लिए उपयोग शामिल है।"

   iii. खण्ड 3 (ट) निम्नवत् पढ़ा जाएगा:-

   "आयातक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पादों या प्लास्टिक पैकेजिंग वाले उत्पादों या कैरी बैगों या बहु-परतीय पैकेजिंग या प्लास्टिक शीटों या इस प्रकार की अन्य सामग्रियों का आयात करता है;"

   iv. खण्ड 3 (ण) को निम्नवत् पढ़ा जाएगा:-

   "प्लास्टिक पैकेजिंग" का अर्थ उत्पादों के विभिन्न तरीकों से सुरक्षा, संरक्षण, भंडारण और परिवहन के लिए प्लास्टिकों का प्रयोग करके बनाई गई पैकेजिंग सामग्री है।

   v. खण्ड 3 (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं" का अर्थ है, प्लास्टिक का उपयोग करके ऊर्जा बनाने में लगे पुनर्चक्रक और इकाइयां (अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन) जिसमें सह-प्रसंस्करण या इसे तेल में परिवर्तित करना (अपशिष्ट से तेल उत्पादन), औद्योगिक खाद बनाना शामिल है;

vi. खंड 3 (थ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"उपयोग के बाद प्लास्टिक पैकेजिंग का अपशिष्ट" का अर्थ है, उत्पाद का अंतिम उपयोग करने वाले उपभोक्ता द्वारा, पैकेजिंग का इच्छित उपयोग पूर्ण होने के पश्चात् सृजित किया गया प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट और अब इसका उपयोग अपने इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है।

vii. खंड 3 (द) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"उपयोग से पूर्व प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट" का अर्थ है, प्लास्टिक पैकेजिंग के निर्माण के चरण पर अस्वीकार या पृथक किए जाने के रूप में सृजित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट और उत्पाद का अंतिम उपयोग करने वाले उपभोक्ता तक प्लास्टिक पैकेजिंग पहुंचने से पहले, उत्पाद की पैकेजिंग के दौरान सृजित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट जिसमें अस्वीकृत, पृथक किए गए उत्पाद शामिल हैं;

viii. खंड 3 (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"पुनर्चक्रक" के इकाईयां हैं जो प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में कार्यरत हैं;

ix. खंड 3 (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"पुनर्निर्मित प्लास्टिक का प्रयोग" का अर्थ है, वर्जिन प्लास्टिक के बजाय पुनर्निर्मित प्लास्टिक, जिसे विनिर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है;

x. खंड 3 (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन" का अर्थ है, ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग करना और इसमें सह-प्रसंस्करण (अर्थात् सीमेंट के भट्टों में) शामिल है।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 में, -

i. उप-नियम (1) में, खंड (घ) में, "के सिवाय मोटाई" शब्दों के पश्चात् "सरकार द्वारा यथा अधिसूचित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे"

4. उक्त नियमों में, नियम 9 में, -

i. उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"उत्पादक, आयातक और ब्राण्ड मालिक प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में इन नियमों के तहत समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे"

ii. उप-नियम (4) में, "प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" शब्दों से पहले "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य" शब्द अंत:स्थापित किए जाते हैं

iii. उप-नियम (5) में, "पंजीकरण फॉर्म के बिना" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाते हैं "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यदि दो से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहा हो" और "प्रदूषण नियंत्रण समितियों" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जाते हैं "उप-नियम 13(2) के अनुसार।"

5. उक्त नियमों में, नियम 10 के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्.-

"10 कंपोस्टेबल और बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक सामग्रियों के लिए नयाचार.- प्लास्टिक सामग्री की अवक्रमणीयता के परिमाण और अपघटन के परिमाण का निर्धारण इन नियमों की अनुसूची I में सूचीबद्ध भारतीय मानकों के नयाचारों के अनुसार होगा, जिनमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मानक जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक, कंपोस्टेबल प्लास्टिक के सिवाय, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय मानके ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए उचित मानकों का अनुसरण करते हुए, किन्हीं माइक्रो-प्लास्टिकों, या स्पष्ट रूप से दृश्य, अलग करने योग्य या विषाक्त अवशेष, जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, छोड़े बिना, विनिर्दिष्ट समयावधियों में परिवेशी पर्यावरणीय (स्थलीय या जलीय) दशाओं के तहत जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण रूप से अवक्रमित हो जाए।

कंपोस्टेबल प्लास्टिक सामग्रियों कंपोस्टेबल प्लास्टिकों के लिए विनिर्देश शीर्षक वाले भारतीय मानक : आईएस 17088:2008, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुरूप होंगी।''

6. उक्त नियमों में, नियम 11 में –

i. उप-नियम 11 में, ''प्लास्टिक पैकेजिंग'' शब्दों के स्थान पर ''प्लास्टिक शीट या पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त ऐसी सामग्री'' शब्द रखे जाएंगे।

ii. उप-नियम (1) खंड (क) में, ''विनिर्माता'' और ''ब्रांड मालिक द्वारा उपयोग किए गए'' शब्दों का लोप किया जाएगा और ''प्लास्टिक पैकेजिंग'' शब्दों के स्थान पर ''पैकेजिंग के लिए उपयोग की गई प्लास्टिक शीट या सदृश सामग्री'' शब्द रखे जाएंगे और पैकेजिंग के लिए उपयोग की गई ''प्लास्टिक शीट या सदृश सामग्री'' शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द, ''दिनांक 1 जुलाई 2022 से प्रभावी और आयातित सामानों के लिए उपयोग की गई पैंकेजिंग के लिए उपयोग की गई प्लास्टिक शीट या सदृश सामग्री को छोड़कर'' जोड़े जाएंगे। इस परंतुक में निहित कुछ भी ''विधिक माप विज्ञान पैकेज में रखी वस्तु नियम,2011 के नियम 26 के तहत छूट प्रदान किए गए मामलों में ''पैकेजिंग के लिए उपयोग की गई प्लास्टिक शीट या सदृश सामग्री'' पर लागू नहीं होगा।''

iii. उप नियम (1) खंड (ख) में, ''विनिर्माता'' शब्द के स्थान पर ''उत्पादक या ब्रांड मालिक'' शब्द रखा जाएगा, '' और'' शब्द के स्थान पर ''1 जुलाई, 2022 से लागू'' शब्द रखे जाएंगे।

iv. उप-नियम (1) खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड अंत-स्थापित किया जाएगा

''(घ) आयातित कैरी बैगों या बहु-स्तरीय पैकेजिंग या पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक शीट पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली या सदृश सामग्री का आयातक या ब्रांड मालिक, अनन्य रूप से या उत्पादों सहित उप-नियम 11 (क) और 11 (ख) का अनुपालन करेगा।''

7. उक्त नियमों में, नियम 12 में, -

i. उप-नियम (1) में, ''राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड'' शब्दों से पहले, ''केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमों में, नियम 13 में,-

i. उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात.-

''(1) कोई भी व्यक्ति तब तक कैरी बैगों या पुनर्चक्रित प्लास्टिक या बहुस्तरीय पैकेजिंग का विनिर्माण नहीं करेगा जब तक कि वह व्यक्ति निम्नलिखित से पंजीकरण प्राप्त न कर ले,-

i. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ शासित प्रदेश की प्रदूषण नियंत्रण समिति, यदि एक या दो राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में संचालित कर रहे हों; या
ii. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यदि दो से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में संचालित कर रहे हों,''

ii. उप-नियम (2) में, ''उत्पादक'' शब्द के बाद, निम्नलिखित शब्द ''आयातक'' जोड़ा गया है और ''को'' के बाद, निम्नलिखित शब्द '' नियम 9 (1) के तहत जारी किए गए उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व के लिए विनियमन के तहत निर्धारित की गई कार्यविधि के अनुसार।'' जोड़े गए हैं।

iii. उप-नियम (3) में, ''प्रपत्र II में'' शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द '' नियम 9 (1) के तहत जारी किए गए उत्पादक के विस्तारित उत्तर दायित्व के लिए विनियमन के तहत निर्धारित की गई कार्यविधि के अनुसार।'' जोड़े गए हैं।

iv. उप-नियम (6) का लोप किया जाएगा।

v. उप-नियम (7) में, ''पंजीकरण की शर्तें'' शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द, ''पंजीकरण, प्लास्टिक अपशिष्ट या पुनर्चक्रण या प्रसंसाधित करने पर विचार कर रहे हर व्यक्ति द्वारा यथा प्रयोज्य नियम 9(1) के तहत जारी किए गए उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व के लिए विनियमन का पालन करने की शर्त के अध्यधीन होगा।''

9. उक्त नियमों में, नियम 17 के बाद, एक नया नियम 18 निम्नवत जोड़ा गया है:

''18. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को लागू करना.-

1.

1. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उन व्यक्ति (व्यक्तियों) से इन नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर, पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा करने और उसमें सुधार करने और पर्यावरणीय प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन करने के प्रयोजन के लिए प्रदूषक द्वारा भुगतान किए जाने के सिद्धांत के आधार पर वसूल की जाएगी।

2. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पयावरणीय क्षतिपूर्ति को लागू करने और उसके संग्रहण हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा और उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। आवश्यकतानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु दिशानिर्देशों को अद्यतन किया जाएगा।

10. उक्त नियमों में, प्रपत्र । में

i भाग । में मद संख्या 11 पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात.-

''उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व के लिए अधिसूचित विनियमन के अनुसार कार्य योजना''

(ii) भाग ।। में मद संख्या 9 पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात.-

''उत्पादक के विस्तारित उत्तरदायित्व के लिए अधिसूचित विनियमन के अनुसार कार्य योजना''

(iii) भाग ।। के बाद, निम्नलिखित जोड़ा गया है:

III. आयातक :

भाग क, भाग ख, की मद संख्या 3, 4, 5 और भाग ग की मद संख्या 7 और 8 प्रयोज्यतानुसार भरी जानी है।

भाग-क सामान्य		
1.	नाम, पता और संपर्क करने के लिए नंबर	
2.	नवीकरण के मामले में पिछली पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख	
3.	क्या इकाई राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के जिला उद्योग केंद्र में पंजीकृत है? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें।	
4. (क)	परियोजना में निवेश की कुल पूंजी	
(ख)	उत्पादन प्रारंभ करने का वर्ष	
5. (क)	उत्पादों और उप-उत्पादों की सूची और प्रमात्रा	
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और प्रमात्रा	
6 (क)	आयातित या आयात किए जाने वाले उत्पादों की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री की मात्रा	
(ख)	और अधिक आपूर्ति या स्वयं के उपयोग के लिए पैकेजिंग हेतु प्रयुक्त आयातित या आयात की जाने वाली प्लास्टिक शीट या समान सामग्री की मात्रा	
(ग)	और अधिक आपूर्ति या स्वयं के उपयोग के लिए आयातित या आयात की जाने वाली बहु-परतीय पैकेजिंग की मात्रा	
भाग-ख द्रव बहि:स्राव और गैसीय उत्सर्जनों से संबंधित		
5	क्या इकाई के पास जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के तहत वैध सहमति है? यदि हां तो प्रति संलग्न करें	
6.	क्या इकाई के पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के तहत वैध सहमति है? यदि हां तो प्रति संलग्न करें	

भाग-ग अपशिष्ट से संबंधित		
7.	ठोस अपशिष्ट या अवशिष्ट : ग. उत्सर्जित अपशिष्ट की कुल प्रमात्रा घ. संयंत्र के भीतर भण्डारण का तरीका (घ) अपशिष्टों के निपटान के लिए किया गया उपबंध	
8. (क)	(i) पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और (ii) बहुपरतीय पैकेजिंग की आयातित आपूर्ति कराने वाले व्यक्ति की सूची संलग्न या उपलब्ध कराएं	
(ख)	(i) पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट या समान सामग्री और (ii) स्वयं के उपयोग के लिए प्रयुक्त बहुपरतीय पैकेजिंग की आयातित मात्रा	
9	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए अधिसूचित विनियम के अनुसार कार्य योजना	
नाम और हस्ताक्षर पदनाम तारीख : स्थान :		

11. उक्त नियमों में, प्रपत्र IV में, मद (9) के बाद निम्नलिखित जोड़ा गया है

''(10). नियम 9(1) के तहत जारी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी विनियम के अनुसार, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल को आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे''

12. उक्त नियमों में, प्रपत्र VI में, तालिका के बाद निम्नलिखित जोड़ा गया है

''ख. नियम 9(1) के तहत जारी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत विनियम के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट सूचना निम्नलिखित के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक उपलब्ध कराई जाएगी :

क. कैरी बैग, पुनर्चक्रित प्लास्टिक बैग, बहुपरतीय पैकेजिंग का विनिर्माता (नियम 13(1)(i) के तहत पंजीकृत)

ख. उत्पादक, आयातक, ब्रैंड का मालिक (नियम 13(2)(i) के तहत पंजीकृत)

ग. पुनर्चक्रणकर्ता और प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रसंस्करणकर्ता (नियम 13(3)(i) के तहत पंजीकृत)''

[फा. सं. 17/24/2021-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 320(अ) तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तदनंतर इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285(अ), तारीख 27 मार्च, 2018 और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571(अ), तारीख 12 अगस्त, 2021 के द्वारा संशोधन और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647(अ), तारीख 17 अगस्त, 2021 के द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2022

G.S.R. 22(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for making certain amendments in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued vide G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016, is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: satyendra.kumar07@nic.in, amit.love@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Plastic Waste Management Rules, 2016 were notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016, inter alia, providing for collection, segregation, processing, treatment and disposal of the plastic waste in an environmentally sound manner, restriction on thickness of plastic sheet or like, prohibition on identified use, extended producer responsibility, marking and labelling requirement, registration of manufacturer, producer, importer, brand owner and plastic waste processor, reducing the plastic waste generation;

Whereas, the Plastic Waste Amendment Rules, 2021, were notified vide G.S.R. No. 571 (E) on 12th August, 2021, inter alia, providing for issuance of Guidelines under Rule 9 (1) on the responsibility of producer, importer and brand owner;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified the draft provisions for the "Regulation on the Extended Producer Responsibility under Plastic Waste Management Rules, 2016, as amended from time to time" vide GSR No. 722 (E) on 6th October, 2021;

And whereas, the principle of sustainable development, precautionary principle, and polluter pays principle have been recognized in the law;

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby publishes this draft notification as required under sub-rule 3 of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986, which shall on and from the date of its final publication make the following amendments in the said notification, namely:—

1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management Rules, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in rule 3,

   i. After clause (ab), the following clause shall be inserted, maely:-

   '(ac) "Biodegradable plastics" means that plastics, other than compostable plastics, which undergoes complete degradation by biological processes under ambient environment (terrestrial or in water) conditions, in specified time periods, without leaving any micro plastics, or visible, distinguishable or toxic residue, which has adverse environment impacts, adhering to laid down standards of Bureau of Indian Standards and certified by Central Pollution Control Board.'

   ii. Clause 3(b), may be read as given below:-

   '"Brand Owner" means a person or company who sells any commodity under a registered brand label/trademark;'

   iii. after clause 3 (g), the following clause shall be inserted namely :-

'(gb) "End of Life disposal" means using plastic waste for generation of energy which includes co-processing (e.g. in cement kilns) or waste to oil or for road construction as per Indian Road Congress guidelines and other relevant guidelines;'

iv Clause 3(k), may be read as given below:-

'"Importer" means a person who imports plastic packaging product or products with plastic packaging or carry bags or multilayered packaging or plastic sheets or like;'

v. after clause 3 (o), the following clause shall be inserted namely :-

'"Plastic Packaging" means packaging material made by using plastics for protecting, preserving, storing and transporting of products in a variety of ways;'

vi. after Clause 3(qa), the following clause shall be inserted namely :-

'(qb) "Plastic Waste Processors" means recyclers and entities engaged in using plastic for energy (waste to energy) including in coprocessing or converting it to oil (waste to oil), industrial composting;'

vii. after Clause 3(qb), the following clause shall be inserted namely:-

'(qc) "Post-consumer plastic packaging waste" means plastic packaging waste generated by the end-use consumer after the intended use of packaging is completed and is no longer being used for its intended purpose;'

viii. after Clause 3(r), the following clause shall be inserted namely:-

'(ra) "Pre-consumer plastic packaging waste" means plastic packaging waste generated in the form of reject or discard at the stage of manufacturing of plastic packaging and plastic packaging waste generated during the packaging of product including reject, discard, before the plastic packaging reaches the end-use consumer of the product;'

ix. after Clause 3(s), the following clause shall be inserted namely :-

'(sa) "Recyclers" are entities who are engaged in the process of recycling of plastic waste;'

x. after Clause 3(w), the following clause shall be inserted namely :-

'(wa) "Use of recycled plastic" means recycled plastic, instead of virgin plastic, is used as raw material in the manufacturing process;'

xi. after Clause 3(aa), the following clause shall be inserted namely :-

'(aab) "Waste to Energy" means using plastic waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement kilns);'

3. In the said rules, in rule 4, -

i. in sub-rule (1), in clause (d), after the words " thickness except", the words shall be inserted " as notified by Government"

4. In the said rules, in rule 9, -

i. for the sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely.-

"The Producers, Importers and Brand Owners, shall fulfill Extended Producers Responsibility on plastic packaging waste as per regulations issued under these rules from time to time"

ii. in the sub-rule (4), before the words, "Pollution Control Board", the words, "Central Pollution Control Board and State" is inserted

iii. in the sub-rule (5), after the words "without registration from" the following words are added "Central Pollution Control Board if operating in more than two states or union territories" and after the words "Pollution Control Committees" the following words are added " as per sub-rule 13 (2)."

5. In the said rules, for rule 10, the following sub-rule shall be substituted, namely.-

"10. Protocols for compostable and biodegradable plastic materials.-Determination of the degree of degradability and degree of disintegration of plastic material shall be as per the protocols of the Indian Standards listed in Schedule I to these rules, wherein, it shall be ensured that standard biodegradable plastic, other than compostable plastics, undergoes complete degradation by biological processes under ambient environment (terrestrial or in water) conditions, in specified time periods, without leaving any micro plastics, or visible, distinguishable or toxic residue, which has adverse environment impacts, following appropriate standards developed by Bureau of Indian Standards and certified by Central Pollution Control Board. The compostable plastic materials shall conform to the Indian Standard: IS 17088:2008 titled as Specifications for Compostable Plastics, as amended from time to time."

6. In the said rules, in rule 11-

i. In sub rule 11, "plastic packaging" are substituted by the words "plastic sheet or like used for packaging"

ii. In sub-rule (1) clause (a), words "manufacturer" and "used by the brand owner" shall be omitted and words "plastic packaging" are substituted by the words "plastic sheet or like used for packaging" and after words "plastic sheet or like used for packaging" the following words are added "with effect from 1st July, 2022 and excluding plastic sheet or like used for packaging used for imported goods. Nothing contained in this proviso shall apply to "plastic sheet or like used for packaging" in cases exempted under Rule 26 of Legal Metrology Packaged Commodities Rules, 2011."

iii. In sub rule (1) clause (b), the word "manufacturer" shall be substituted by the word "producer or brand owner" , the word "and" is substituted with the following words "with effect from 1st July, 2022"

iv. After sub-rule (1) clause (c), the following clause if inserted

"(d) The importer or brand owner, of imported carry bags or multi-layered packaging or plastic sheets or like used for packaging, alone or along with products shall adhere to Sub-rule 11 (a) and 11 (b)."

7. In the said rules, in rule 12, -

i. In Sub-rule (1), before the words, "State Pollution Control Board", the words, "Central Pollution Control Board" is inserted.

8. In the said rules, in rule 13, -

i. for the sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely.-

"(1) No person shall manufacture carry bags or recycle plastic or multilayered packaging unless the person has obtained registration from,-

i. The concerned State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the Union Territory, if operating in one or two states or Union territories; or

ii. The Central Pollution Control Board, if operating in more than two States or Union Territories,"

ii. in sub-rule (2), after the word "producer" the following word is added "importer" and after the "to" the following words are added "as per the procedure prescribed under Regulation for Extended Producer Responsibility issued under Rule 9 (1)."

iii. in sub-rule (3), after the words "in Form II" the following words are added "as per the procedure prescribed under Regulation for Extended Producer Responsibility issued under Rule 9 (1)."

iv. Sub-rule (6) shall be omitted.

v. In the sub-rule (7), after the words "terms of registration." the following words are added "The registration shall be subject to every person recycling or processing plastic waste or

proposing to recycle or process plastic waste, adhering to the Regulation for Extended Producer Responsibility issued under Rules 9 (1), as applicable."

9. In the said rules, after rule 17, a new rule 18 is added as given below:

"18. Imposition of Environmental Compensation.-

1. Environmental Compensation shall be levied based upon polluter pays principle, on person(s) not adhering to the provisions of these rules, for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environment pollution.

2. CPCB shall lay down guidelines for imposition and collection of environment compensation and the same shall be notified. The Guidelines for Environmental Compensation shall be updated, as required."

10. In the said rules, in Form I

(i). in Part I at item 11, the following shall be substituted, namely.-

"Action plan as per Regulation notified for Extended Producer Responsibility"

(ii) in Part II at item 9, the following shall be substituted, namely.-

"Action plan as per Regulation notified for Extended Producer Responsibility"

(iii) After Part II, the following is added:

III. Importers:

Item 3, 4, 5 of Part A, Part B, and item 7 and 8 of Part C, to be filled as per applicability.

PART – A GENERAL		
1.	Name, Address and Contact number	
2	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
3	Is the unit registered with the District Industries Centre of the State Government or Union Territory? If yes, attach a copy.	
4.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
5. (a)	List and quantum of products and by-products	
(b)	List and quantum of raw materials used	
6 (a)	Quantity of plastic sheet or like used for packaging of imported or to be imported products	
(b)	Quantity of imported or to be imported plastic sheet or like used for packaging for further supply or self-use	
(c)	Quantity of imported or to be imported multilayered packaging for further supply or self-use	
PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
5	Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
6	Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	

PART – C PERTAINING TO WASTE		
7.	Solid Wastes or rejects: c. Total quantum of waste generated d. Mode of storage within the plant (d) Provision made for disposal of wastes	
8. (a)	Attach or Provide list of person supplying imported (i) plastic sheet or like used for packaging, (ii) multilayered packaging	
(b)	Quantity of imported (i) plastic sheet or like used for packaging, (ii) multilayered packaging used for self use	
9	Action plan as per Regulation notified for Extended Producer Responsibility	
Name and Signature Designation Date : Place :		

11. In the said rules, in Form IV, the following is added after item (9)

"(10). Data to be provided as per Regulation on Extended Producer Responsibility issued under Rule 9 (1) by the 30th April of every year to the concerned State Pollution Control Board and Pollution Control Committee"

12. In the said rules, in Form VI, the following is added after the table

"B. Information as prescribed with respect to Regulation under Extended Producer Responsibility issued under Rule 9 (1) to be provided by 30th April of every year in the prescribed pro forma to Central Pollution Control Board for the following:

a. Manufacturer of carry bag, recycle plastic bag, multilayered packaging (Registered under Rule 13 (1) (i))

b. Producer, Importer, Brand Owner (Registered under Rule 13 (2) (i))

c. Recycler and plastic waste processor (Registered under Rule 13 (3) (i))"

[F. No. 17/24/2021-HSMD]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R 320 (E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number G.S.R 285 (E), dated the 27th March, 2018 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 571 (E), dated the 12th August, 2021 and last amended vide notification number G.S.R. 647(E), dated the 17th August, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.20 22:03:04 +05'30'